भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 776

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण में पदों की भर्ती

776. श्रीमती शताब्दी राय बनर्जीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण में स्वीकृत 85 पदों में से केवल 32 पद ही मुख्यतः प्रतिनियुक्ति पर भरे जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो स्टाफ की निरंतर कमी के क्या कारण हैं और क्या सभी स्वीकृत पदों को भरने के लिए समयबद्ध योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या नियोजन के प्रति खंडित दृष्टिकोण और अपर्याप्त अंतर-राज्यीय सहयोग व्यापक बाढ़ प्रबंधन में बाधा डाल रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) में समूह 'क' और समूह 'ख' में कुल 85 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 पद चेयरमैन और मेंबर्स (5) से संबद्ध हैं। चेयरमैन और मेंबर्स के पांच पद पहले ही भर दिए गए हैं। इसके अलावा, अलग-अलग ग्रेड (निदेशक और उससे नीचे के स्तर) में 65 तकनीकी पद हैं, जिन्हें केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा (सेंट्रल वॉटर इंजीनियरिंग सर्विस) (सीडब्ल्यूईएस) के अधिकारियों द्वारा भरा जाना है, जिनमें से 10 पदों पर सीडब्ल्यूईएस के अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति पर ज्वॉइन किया है, और 4 और अधिकारियों को हाल ही में नियुक्ति के लिए चुना गया है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में 14 पद संवर्ग-बद्ध पद हैं, जिनमें से 11 अभी भरे हुए हैं। कुल मिलाकर, राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण में अब तक 27 पद भरे जा चुके हैं। एनडीएसए एक नवनिर्मित संगठन है जिसकी स्थापना बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के नियमों के तहत की गई है। अलग-अलग ग्रेड में शेष तकनीकी पदों को भरने के लिए, राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण ने दिनांक 04.11.2025 को एक रिक्ति परिपत्र जारी किया है।

(ग): बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकता के अनुसार बनाती और कार्यान्वित करती हैं। केंद्र सरकार तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को सफल बनाने में सहायता करती है, और संकटग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। एकीकृत बाढ़ दृष्टिकोण का लक्ष्य है कि बाढ़ से होने वाले नुकसान के संबंध में कम खर्च में उचित स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को न्यायसंगत तरीके से अपनाया जाए।

जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों पर लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाया है कि देश में बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण दृष्टिकोण (फ्लड प्लेन ज़ोनिंग अप्रोच) को अपनाने की आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों को बाढ़ शमन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप बाढ़ मैदानों और उसके क्षेत्रीकरण का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने में सहायता करने के लिए, अगस्त, 2025 में फ्लड प्लेन ज़ोनिंग पर तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किए हैं और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए हैं।

*****